

13/4/18

पत्रावली पेश हुई। गैर साधन अधिवक्ता
 अनुपस्थित। तीन बार भाषण लगाई गई
 लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ।
 प्रतिक्रमा का 25/2/18 का मोटिब गठित
 हुआ। उसके पश्चात अनेक बार जवाब
 सारथ प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया
 लेकिन प्रतिक्रमा द्वारा भयवा उनके अधिवक्ता
 द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।
 इसके स्पष्ट है कि गैर साधन इस संदर्भ में
 कुछ भी करना नहीं चाहते एवं किसी प्रकार
 का साक्ष्य (न्याय संगत) भी नहीं है।

अतः गैर साधन का प्रतिक्रमा को प्रति किया
 जाना है। निर्णय अलग से लिखा जाकर
 प्रस्तुत है। निर्णय खुले न्यायालय में
 सुनाया गया। पत्रावली फेरल सुधार
 होकर नंबर से कर है।


 नाथ तहसीलदार सिणधरी

वर्ष 2018-19 के राजस्व लेखा पत्रिका सं. 4 के
 पृष्ठ सं. 2 पर क्र.सं. 6 पर जुमाना/फसल
 निलामी राशि रु. 200 + 400 की मांग दर्ज की गई।
 1100
 13/7/18
 तहसील राजस्व लेखाकार
 तहसील सिणधरी